

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुधाना जिला झुन्झुनू (राज0)

मुकदमा क्रिम मुकदमा रजु दिनांक निर्णय दिनांक  
34/2020 धारा 91 एल आर एक्ट 05.05.2020 29.01.2021

राजस्थान सरकार बनाम लिखमाराय पुत्र मन्गर जाति अहीर निवासी मेघपुर तहसील बुधाना जिला झुन्झुनू (राज0)

-: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का पंथरौली ने सम्वत 2077 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि बाके ग्राम मेघपुर की राजकीय भूमि ख0न0 236 कुल रकबा 49.64 हे0 किस्म गै0मु0 जोहड़ में से 0.02 हे0 भूमि पर अतिक्रमी लिखमाराय पुत्र मन्गर जाति अहीर निवासी मेघपुर ने अवैध रूप से मकान बनाकर पक्का निर्माण कर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अनुपस्थित रहा। अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का महनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जी काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में मकान बनाकर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है य जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से मकान बनाकर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.44/- का अतिक्रमण शुदा लगान 0.09 की 50 गुणा जुर्माना राशि 5.00/- बतौर शासित कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तागील दाखिल दफतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फौसला हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा.सं. 4 वर्ष 2020-21 के पृ.सं. 93  
पर 5/- की मांग कायम की गई।

Suman  
तहसील राजस्व लेखाकार  
तहसील बुधाना

(मांगरम पुनिया)  
तहसीलदार  
बुधाना (अ-अन) राज0